संख्या–1631 /उन्तीस(2)/11–2(33पे0)/2010

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 दिसम्बर, 2011

विषयः–केन्द्रीय विशेष सहायता के अन्तर्गत जनपद पौडी की नानघाट पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 448/नौ–2–04 (60पे0)/ 2003 दिनांक 28 फरवरी 2004 के द्वारा ₹ 500.00 लाख, शासनादेश संख्या 1508/उन्तीस (2)/06–2(60पे0)/ 2003 दिनांक 23 मार्च,2006 द्वारा ₹ 500.00 लाख, शासनादेश संख्या 388/उन्तीस (2)/07–2(60पे0)/ 2003 दिनांक 23 मार्च,2007 द्वारा ₹ 100.00 लाख, शासनादेश संख्या 382/उन्तीस(2)/08–2 (126पे0)/2007 दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के द्वारा ₹ 1100.00 लाख,शासनादेश संख्या 1286/उन्तीस (2)/08–2(126पे0)/ 2007 दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 के द्वारा ₹ 500.00 लाख, शासनादेश संख्या 381/उन्तीस(2)/09–2 (126पे0)/ 2007 दिनांक 25 मार्च 2009 द्वारा ₹ 1000.00 लाख, शासनादेश संख्या 410/उन्तीस (2)/10–2 (67पे0)/2008 दिनांक 31 मार्च 2010 के ₹ 1800.00 लाख शासनादेश संख्या 435/उन्तीस (2)/11–2 (33पे0)/2010 दिनांक 28 मार्च 2011 के द्वारा ₹ 1150.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 6650.00 लाख (₹ छियासाठ करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि उक्त शासनादेशों के द्वारा अबतक अवमुक्त की जा चुकी है तथा आपके पत्र संख्या –1कैम्प मैमो/4 दिनांक 01–12–2011 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत पौड़ी की नानघाट पेयजल योजना पर अवशेष ₹ 478.34 लाख (चार करोड़ अट्ठहत्तर लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(I)- उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(II)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का इसी वित्तीय में पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(III)- कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

(IV)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(V)- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(VI)- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(VII)- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(VIII)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरांत ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी

(IX)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(X)- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप कार्य किया जाय।

(XI)- आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(XII)- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(XIII)- स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय। समस्त कार्य अधिप्राप्ति नियमावली के सुंसगत प्राविधानों के अनुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सम्पादित किये जायें।

(XIV)- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2- **उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लेखानुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-01-नगरीय पेयजल/ जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण(के.स.) -35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे" डाला जायेगा।**

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:785/XXVII(2)/2009, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 1631 (i)/उन्तीस(2)/11-2(33पे0)/2010तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2-स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

3-निजी सचिव-प्रमुख सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6–जिलाधिकारी, देहरादून/ पौड़ी।
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11–अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
12–वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा सैकली)
उप सचिव